न्यायालय, सिविल जज सि0डि0, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।

विभाजन वाद—34 / 2025

राज किशोर शर्मा वगैरह..............................वादीगण

बनाम

मो0 सुनैना देवी वगैरह...प्रतिवादीगण

08.12.25 अभिलेख आज वादी की ओर से आदेश 6 नियम 17 सुनवाई पश्चात् वादपत्र संशोधन हेतु आवेदन दिनांक—16.06.2025 पर आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान वाद उपस्थिति हेतु लंबित है।

अपने आवेदन में आवेदक ने निवेदन किया है कि वर्तमान वाद में टंकक भूल एवं दृष्टिचूक के कारण वादपत्र में कुछ तथ्य गलत टंकित हो गया है, जिसका सुधार न्यायहित में आवश्यक है। प्रस्तावित संशोधन स्वीकृत होने से वाद के स्वरुप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः निवेदन है कि आवेदनांकित प्रस्तावित संशोधन हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाए।

उभय पक्षों को सुना अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान वाद उपस्थिति हेतु लंबित है तथा उपरोक्त संशोधन वादी द्वारा वादपत्र के कंडिका—10 और मद सं0—2 में टंकक भूल एवं दृष्टिचूक के कारण वादपत्र में कुछ तथ्य गलत टंकित हो जाने के कारण वादपत्र में संशोधन चाहते हैं, जो औपचारिक प्रकृति का प्रतीत होता है तथा वर्तमान वाद में वाद के अंतिम न्याय—निर्णयन की दृष्टि से तथा उभय पक्षों के मध्य विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के अवधारण हेतु आवश्यक प्रतीत होता है, चूँकि वर्तमान वाद अभी प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु लंबित है तथा वादी का आवेदन शपथ—पत्र से सम्पुष्ट है। तद्नुसार उपरोक्त संशोधन आवेदन स्वीकृत किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि आदेश की तिथि से 14 दिनों के भीतर अपना आवेदनांकित प्रस्तावित संशोधन वादपत्र में दर्ज करें।

वाद दिनांक— वास्ते करने संशोधन वादपत्र में एवं उपस्थिति हेतु।

सिविल जज सि0डि0,
शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।